सेफ क्लिक 2.0 बना जनआंदोलन, 7 करोड़ लोगों तक पहुंचा साइबर सुरक्षा का संदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मप्र पुलिस के 15 दिवसीय प्रदेशव्यापी साइबर सुरक्षा जनजागरूकता अभियान 'सेफ क्लिक 2.0' का बुधवार को नरोन्हा प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में समापन हुआ।

अभियान के दौरान प्रदेशभर में 8,600 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक करोड़ से अधिक नागरिकों तक प्रत्यक्ष रूप से तथा डिजिटल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से छह करोड़ से अधिक लोगों तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचाया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने कहा कि साइबर अपराध लगातार नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। ऐसे में जनजागरूकता ही सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि 'सेफ क्लिक 1.0' के सकारात्मक परिणामों के बाद डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। समय पर सूचना मिलने से पुलिस ने कई मामलों में त्वरित कार्रवाई कर पीड़ितों को राहत दिलाई है।

डीजीपी ने बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस साइबर अपराध से निपटने के लिए फर्जी बैंक खातों को बंद कराने, फर्जी सिम कार्डों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा साइबर ठगी की राशि समय रहते होल्ड कराकर पीड़ितों को वापस दिलाने जैसे नवाचारों पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी, पासवर्ड और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर) ए. साईं मनोहर ने कहा कि 'सेफ क्लिक 2.0' को पहले से अधिक व्यापक स्वरूप दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह अभियान जन-जन तक पहुंचकर जनआंदोलन बन गया। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 'प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर' का सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावी है। उप पुलिस महानिरीक्षक डॉ. विनीत कपूर ने बताया कि अभियान के दौरान डिजिटल अरेस्ट, एआई आधारित साइबर अपराध, वॉइस क्लोनिंग, फिशिंग, क्यूआर कोड फ्रॉड, निवेश संबंधी साइबर ठगी और सोशल मीडिया सुरक्षा जैसे विषयों पर प्रदेशभर में संवादात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूलों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों, रैलियों और चौपालों के माध्यम से साइबर सुरक्षा का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया गया। अभियान के उत्कृष्ट संचालन के लिए भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के साथ डिंडौरी, अलीराजपुर, दतिया और बैतूल जिले के पुलिस अधीक्षकों को सम्मानित किया गया।

प्रयास जन कल्याण समिति और प्रबुद्ध नागरिक जाएंगे हाईकोर्ट

आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने की तैयारियों का विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भूमि विकास नियम-2012 में संशोधन कर आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने की सरकारी तैयारियों के खिलाफ भोपाल के जागरूक नागरिकों और संस्थाओं ने मोर्चा खोल दिया है। इस विवादास्पद संशोधन के विरोध में अरेरा कॉलोनी के रहवासियों की संस्था 'प्रयास जन कल्याण समिति' द्वारा एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इसमें नागरिकों ने इस नीतिगत फेरबदल को रहवासियों के शांतिपूर्ण जीवन और कानूनी व्यवस्था पर सीधा प्रहार बताया। करीब दो घंटे चली चर्चा में सामने आए कानूनी, तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं के आधार पर समिति की अध्यक्ष अपर्णा वशिष्ठ ने 20 बिंदुओं की एक विस्तृत आपत्ति तैयार की है, जिसे शासन को भेजा जा रहा है। चर्चा में रहवासियों ने स्पष्ट किया कि यदि यह प्रस्तावित संशोधन लागू होता है, तो: आवासीय क्षेत्रों का मूल ढांचा पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। रिहायशी इलाकों में अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटर, कार्यालय और शोरूम जैसी व्यावसायिक गतिविधियों का अनियंत्रित विस्तार होगा।

बुनियादी ढांचे पर संकट

व्यावसायिक गतिविधियों के कारण स्थानीय यातायात, पार्किंग, जलापूर्ति, ड्रेनेज और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा।

नियमों का विरोधाभास

आपत्ति में यह प्रमुखता से उठाया गया है कि मास्टर प्लान में निर्धारित भूमि उपयोग को केवल भूमि विकास नियमों में संशोधन करके मनमाने ढंग से नहीं बदला जा सकता।

हाईकोर्ट में दी जाएगी चुनौती

श्री पूर्णेन्दु शुक्ल ने बैठक में जानकारी दी कि उनके समूह की ओर से दायर एक जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने गत वर्ष ही अंतरिम राहत प्रदान की है। इस आदेश के तहत कोर्ट ने नगर निगम के नियमों और क्षेत्र के मास्टर प्लान के विरुद्ध किए जा रहे ऐसे समस्त अनधिकृत निर्माणों पर पहले ही रोक लगा रखी है। उन्होंने एलान किया कि इसी न्यायिक आदेश के मद्देनज़र नियमों में किए जा रहे इस ताजा परिवर्तन को पुनः हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

बिल्डर-अफसरों के दबाव में हो रहा कार्य, : शुक्ल

चर्चा में भाग लेते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं जनहित याचिकाकर्ता पूर्णेन्दु शुक्ल ने सरकार की मंशा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से राजनीतिज्ञों, रियल एस्टेट एजेंटों और अफसरों के दबाव में कार्य कर रही है। चुनिंदा लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए ही नियमों में यह बदलाव किया जा रहा है, जो यदि लागू हुआ तो रहवासी कॉलोनियाँ रहने लायक नहीं रह जाएंगी।

अकबरपुर की सरकारी भूमि पर खुदाई को लेकर विवाद

- लोगों ने जताया विरोध
- प्रशासन से सीमांकन और कार्रवाई की मांग
- पहले भी की जा चुकी है शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के बाघ विचरण क्षेत्र स्थित अकबरपुर गांव की पहाड़ी पर पेड़ों की कटाई और खुदाई का मामला सामने आया है। पहाड़ी पर जेसीबी और पोकलेन मशीनों से खुदाई कर उसे समतल करने का काम किया जा रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों ने इस मामले में पुलिस से शिकायत भी की है। यह मामला बुधवार सुबह करीब 11 बजे सामने आया। पहाड़ी पर मशीनों की मदद से खुदाई की जा रही थी, जिसकी चपेट में कई पेड़ आ गए और वे उखड़ गए। यह भूमि अकबरपुर गांव के सर्वे नंबर-तीन में स्थित है, जिसे सरकारी भूमि बताया जा रहा है।

बाघ विशेषज्ञ राशिद नूर ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर उत्खनन किया जा रहा है और पहाड़ी की ढलान को समतल कर अवैध प्लॉटिंग की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण में शिकायत की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश में सरकारी भूमि का राजस्व अभिलेखों के आधार पर सीमांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित भूमि की सीमाएं भी निर्धारित करने को कहा गया है।

राशिद नूर ने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा खसरा अभिलेखों में छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से पटवारी और राजस्व निरीक्षक के माध्यम से जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने बताया कि दानिश सेक्टर-तीन और पांच में अवैध कब्जे से जुड़े मामले तहसील न्यायालय में विचाराधीन हैं। मास्टर प्लान के अनुसार आठ डिग्री से अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद यहां प्लॉटिंग किए जाने का आरोप लगाया गया है।

साइबर जागरूकता के प्रयासों को मिली बड़ी सफलता

सेफ क्लिक 2.0 अभियान में भोपाल पुलिस कमिश्नरेट प्रदेश में प्रथम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश पुलिस के 15 दिवसीय साइबर सुरक्षा जनजागरूकता अभियान 'सेफ क्लिक 2.0' में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नरेट को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अभियान के दौरान शहर के स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, बैंकों, अस्पतालों, होटलों, न्यायालयों, कॉलोनियों, मोहल्लों और बस्तियों सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों और विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी साझा करने के खतरे और साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों की जानकारी दी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर रियल वीडियो और जागरूकता संदेशों का व्यापक प्रसार कर बड़ी संख्या में लोगों तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचाया गया। अभियान के समापन अवसर पर पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने सभी नागरिकों, पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग और जनभागीदारी से भोपाल पुलिस कमिश्नरेट को यह उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार जागरूकता अभियान निरंतर जारी रहेंगे।

बीएचईएल रिवार्ड स्कीम में संशोधन की मांग एआईबीईयू-एनएफआईटीयू ने सौंपा मांगपत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः बीएचईएल की रिवार्ड स्कीम-2024 में व्यापक संशोधन की मांग को लेकर ऑल इंडिया बीएचईएल एम्प्लॉईज यूनियन (एआईबीईयू) संबद्ध एनएफआईटीयू ने प्रबंधन को मांगपत्र सौंपा है। यूनियन ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना में व्यावहारिक बदलाव की मांग की है।

13 जुलाई को नई दिल्ली में प्रस्तावित रिवार्ड स्कीम समीक्षा उप-समिति की बैठक से पहले यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एवं महासचिव रामनारायण गिरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बीएचईएल के एलजीएक्स विभाग के अपर महाप्रबंधक एवं उप-समिति सदस्य जगदीश तनवानी से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की गई। रामनारायण गिरी ने कहा कि इंसेंटिव स्कीम बीएचईएल भोपाल की उत्पादन क्षमता और उत्पादकता का महत्वपूर्ण आधार है। वर्तमान योजना में विशेषकर सहायक कर्मचारियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना में सुधार से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और संस्थान की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। यूनियन ने मांग की है कि वर्ष 2024 से लंबित एरियर का भुगतान किया जाए, डी/आर और टेन्योर कर्मकारों को योजना में शामिल किया जाए तथा सहायक कर्मचारियों का रिवार्ड 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया जाए। इसके अलावा इंसेंटिव राशि में वृद्धि, मानक कार्य घंटे कम करने, सभी विभागों को योजना का लाभ देने और उपस्थिति नियमों में संशोधन जैसी मांगें भी रखी गई हैं।

रातभर चला सघन जांच अभियान संदिग्धों से हुई पूछताछ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पुराने भोपाल क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने मंगलवार देर रात सघन जांच और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान शहर के कई थाना क्षेत्रों में प्रमुख चौराहों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में बैरिकेड लगाकर वाहनों की जांच की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने देर रात बिना किसी उचित कारण के घूम रहे लोगों से पूछताछ की और उनकी पहचान की जांच की। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए आवश्यक कार्रवाई भी की गई। पुलिस टीमों ने दोपहिया और चारपहिया वाहनों के दस्तावेजों की जांच की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखना है। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त भी की। इस दौरान आम लोगों से अपील की गई कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में कानून का भय कायम रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण के साथ-साथ यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी नियमित कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने प्रमुख चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में की वाहनों की जांच, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई

सुरेश सोनपुरे को विश्व साहित्य सम्मान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः निर्दलीय प्रकाशन द्वारा सृजनधर्मियों के सम्मान समारोह में साहित्यकार सुरेश सोनपुरे 'अजनबी' को साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए 'विश्व साहित्य सम्मान 2026' से सम्मानित किया गया। गांधी भवन में आयोजित इस गरिमामय समारोह में देशभर के साहित्यकार, शिक्षाविद, इतिहासकार और सृजनधर्मी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री डॉ. नारायण व्यास, मुख्य अतिथि राजगोपाल पीवी, विशेष अतिथि डॉ. एस. सूर्य प्रकाश सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। आयोजन में नेपाल सहित देश के 12 राज्यों से आए साहित्यकारों और शिक्षाविदों ने सहभागिता की। इस अवसर पर मनोज जैन 'मधुर', सुरेश पटवा, डॉ. लवली कौशल, कविता शिरोले, आरसी साहू 'बिंब', सुरेश जायसवाल, जैसमीन कौशल, डॉ. शशांक झा सहित कई साहित्यकारों को राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य कार्यक्रम का संचालन विमल भंडारी तथा कवि सम्मेलन का संचालन लता स्वरांजलि ने किया।

आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

- पीड़िता को 2 लाख रुपये का प्रतिकर दिए जाने का आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के निशातपुरा थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी भगवत विश्वकर्मा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है, साथ ही पीड़िता को 2 लाख रुपये का प्रतिकर दिए जाने का आदेश पारित किया है।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं पंद्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(एबी) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 9(एम)/10 के तहत 5 वर्ष, धारा 354 के तहत 1 वर्ष और धारा 323 के तहत 1 वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई गई।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और नवीन श्रीवास्तव ने मामले में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, 30 दिसंबर 2022 को पीड़िता के पिता ने निशातपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया था कि वह अपनी सहेली के साथ हनुमान मंदिर के पास खेल रही थी, तभी मोहल्ले में रहने वाले आरोपी ने मोबाइल चलाने का लालच देकर उसे धर्मशाला की छत पर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी की पहचान हुई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।

न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, तर्क और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अपराधों से समाज की चेतना आहत होती है। पीड़िता का दर्द पूरे समाज का दर्द है। कठोर दंड का उद्देश्य ऐसे अपराधों को रोकना और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत करना है।

सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी

छह युवाओं से लाखों वसूले फर्जी नियुक्ति पत्र थमाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में बेरोजगार युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाला एक शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। खुद को करणी सेना का पूर्व जिला अध्यक्ष बताने वाले आरोपी आशु कुमार (कोटरा निवासी) ने नगर निगम भोपाल समेत अन्य सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर कम से कम 6 युवाओं से लाखों रुपये की ठगी की।

आरोपी ने कुछ पीड़ितों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी सौंपे, जिन्हें लेकर जब पीड़ित सरकारी कार्यालय पहुंचे तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया। कमला नगर थाना पुलिस ने बुधवार को आरोपी आशु कुमार को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में छह पीड़ित सामने आए हैं। पुलिस आरोपी के बैंक खातों, मोबाइल कॉल डिटेल्स और अन्य दस्तावेजों की छानबीन कर रही है।

कमला नगर थाना पुलिस के अनुसार, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे पवन कुमार ने शिकायत दर्ज कराई। पवन ने बताया कि कोटरा निवासी आशु कुमार ने उन्हें नगर निगम भोपाल में एलडीसी पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बदले आरोपी ने उनसे करीब तीन लाख रुपये वसूल लिए। कुछ समय बाद आरोपी ने पवन कुमार को एलडीसी पद का नियुक्ति पत्र सौंप दिया। जब पवन कुमार जॉइनिंग के लिए नगर निगम कार्यालय पहुंचा तो अधिकारियों ने दस्तावेज को पूरी तरह फर्जी करार दिया। इसके बाद पवन कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच में पता चला कि आरोपी ने इसी तरीके से अन्य युवाओं को भी ठगा है।

करणी सेना का नाम इस्तेमाल कर बनाया विश्वास

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आशु कुमार लोगों का विश्वास जीतने के लिए खुद को करणी सेना का पूर्व जिला अध्यक्ष बताता था। हालांकि, करणी सेना के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष योगेंद्र सिंह देवड़ा ने स्पष्ट किया कि संगठन की जिला इकाई में आशु कुमार नाम का कोई व्यक्ति कभी जिला अध्यक्ष नहीं रहा।

पुलिस की अपीलः पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की जांच जारी है। उन्होंने ऐसे सभी पीड़ितों से अपील की है, जिन्होंने आशु कुमार को सरकारी नौकरी के नाम पर कोई राशि दी हो, वे तुरंत कमला नगर थाने में संपर्क करें। पुलिस का मानना है कि ठगी के शिकार हुए युवाओं की संख्या बढ़ सकती है।

न्यायालय तहसीलदार, नजूल शहर वृत्त, भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 0157/अ-6/2026-27
भोपाल, दिनाँक 07/07/2026

सार्वजनिक इश्तेहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण श्रीमती सलमा पत्नी मोहम्मद आमिर एवं निदा जहां पत्नी श्री आसिफ मियां निवासीगण म.नं. 12 श्रमदान रोड बरखेडी भोपाल एक किता व्यवसायिक भूखण्ड खसरा क्रमांक 1248/9/2 रकबा कुल क्षेत्रफल 265 वर्गफिट का स्थित केवडो वाला बाग बरखेडी भोपाल का नामांतरण किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि नामान्तरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से इन न्यायालय में उपस्थित होकर विज्ञप्ति/इश्तेहार प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय के पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07/07/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल शहर वृत्त,भोपाल

856

न्यायालय तहसीलदार, नजूल शहर वृत्त, भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 0155/अ-6/2026-27
भोपाल, दिनांक 29/06/2026

सार्वजनिक इश्तेहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहम्मद आरिफ आत्मज मोहम्मद रफीक खान निवासी बरखेडी भोपाल द्वारा एक किता मकान जिसका खसरा नं. 1248/9-ख का भाग है जिसका कुल क्षेत्रफल 400 वर्गफिट स्थित पुल पातरा केवडा वाला बाग पातरा रोड बरखेडी भोपाल का नामांतरण किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि नामान्तरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर विज्ञप्ति/इश्तेहार प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किय जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय के पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 29/06/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल शहर वृत्त,भोपाल

857

न्यायालय तहसीलदार, नजूल शहर वृत्त, भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 0156/अ-6/2026-27
भोपाल, दिनांक 29/06/2026

सार्वजनिक इश्तेहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहम्मद आमिर आत्मज मोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद आसिफ मियां आत्मज मोहम्मद आरिफ निवासीगण म.नं. 12 श्रमदान रोड बरखेडी भोपाल द्वारा एक किता व्यवसायिक भूखण्ड जो खसरा क्रमांक 1248/9/2 कुल क्षेत्रफल 771.66 वर्गफिट स्थित केवडे वाला बाग बरखेडी रोड भोपाल का नामांतरण किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि नामान्तरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर विज्ञप्ति/इश्तेहार प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय के पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 29/06/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल शहर वृत्त,भोपाल

858

न्यायालय तहसीलदार, नजूल शहर वृत्त, भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 0154/अ-6/2026-27
भोपाल, दिनांक 30/06/2026

सार्वजनिक इश्तेहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहम्मद आमिर आत्मज मोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद आसिफ मियां आत्मज मोहम्मद आरिफ निवासीगण म.नं. 12 श्रमदान रोड बरखेडी भोपाल द्वारा एक किता व्यवसायिक प्लाट क्रमांक 01-ए जो खसरा क्रमांक 1248/9/2 का अंशभाग होकर कुल क्षेत्रफल 687.86 वर्गफिट स्थित केवड़े वाला बाग बरखेड़ी भोपाल का नामांतरण किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि नामान्तरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर विज्ञप्ति/इश्तेहार प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय के पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30/06/26 जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल शहर वृत्त,भोपाल

859

न्यायालय तहसीलदार, नजूल शहर वृत्त, भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 0158/अ-6/2026-27
भोपाल, दिनांक 30/06/2026

सार्वजनिक इश्तेहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण श्रीमती सलमा पत्नी मोहम्मद आमिर एवं निदा जहां पत्नी श्री आसिफ मियां निवासीगण म.नं. 12 श्रमदान रोड बरखेडी भोपाल एक किता व्यवसायिक भूखण्ड खसरा क्रमांक 1248/9/2 का अंशभाग होकर कुल क्षेत्रफल 163 वर्गफिट का स्थित पुल पातरा, केवड़ो वाला बाग, बरखेडी भोपाल का नामांतरण किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि नामान्तरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से इर न्यायालय में उपस्थित होकर विज्ञप्ति/इश्तेहार प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय के पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30/06/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल शहर वृत्त,भोपाल

860

न्यायालय तहसीलदार, नजूल शहर वृत्त, भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 0153/अ-6/2026-27
भोपाल, दिनांक 29/06/2026

सार्वजनिक इश्तेहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहम्मद आरिफ आत्मज मोहम्मद रफीक खान निवासी बरखेडी भोपाल द्वारा एक किता मकान जिसका खसरा नं. 1248/9-ख का भाग है जिसका कुल क्षेत्रफल 400 वर्गफिट स्थित पुल पातरा केवडा वाला बाग पातरा रोड बरखेडी भोपाल का नामांतरण किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि नामान्तरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर विज्ञप्ति/इश्तेहार प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय के पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 29/06/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल शहर वृत्त,भोपाल

861

॥ चतुर्थ पुण्यतिथि ॥

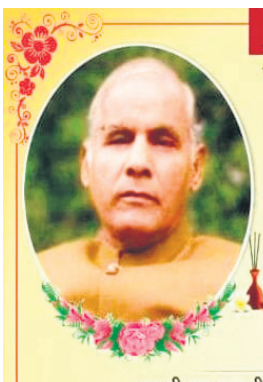

चार बरस बीत गए, पर आपकी याद
आज भी उतनी ही गहरी है,
पिताजी, आपकी दुआओं की छाँव
अब भी मेरी सबसे बड़ी दौलत है।

स्व. पं. श्री रमेश तिवारी जी
(वरिष्ठ पत्रकार)
26 जून 1950-08 जुलाई 2022, (09 जुलाई पुण्यस्मरण)

वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व संपादक
(दैनिक फिर नई राह)
समाज सेवी, लेखक, साहित्यकार

आप की याद आज भी हमारी यादों को उजाला देती है,
आपकी याद हर धड़कन में बस कर हर पल हमें संभाल लेती है

आपकी चतुर्थ पुण्यतिथि पर हम सभी परिवारजन
सादर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्रद्धावनत- श्रीमती कमलेश तिवारी (पत्नी), सौरभ-सृष्टि (पुत्र-पुत्रवधू),
पूजा - रोहित, प्रीति - आनंद, नेहा-रवींद्र (पुत्री-दामाद)
आध्या, रणविजय, सम्यता, साम्राज्य, कान्हा, नमस्वी (नाती, पोते)
एवं समस्त तिवारी परिवार। मो.: 9827668520